

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मांग संख्या 72
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| कुल | 27780.29 | 2451.00 | 30231.29 | 25310.37 | 3847.20 | 29157.57 | 31661.42 | 1534.01 | 33195.43 | 27391.55 | 3709.00 | 31100.55 |
| वसूलियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| प्राप्तियां | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| निवल | 27780.29 | 2451.00 | 30231.29 | 25310.37 | 3847.20 | 29157.57 | 31661.42 | 1534.01 | 33195.43 | 27391.55 | 3709.00 | 31100.55 |
| क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है: | | | | | | | | | | | | |
| केंद्र का व्यय | | | | | | | | | | | | |
| केन्द्र का स्थापना व्यय | | | | | | | | | | | | |
| 1. सचिवालय | 28.22 | ... | 28.22 | 30.99 | ... | 30.99 | 33.92 | ... | 33.92 | 32.45 | ... | 32.45 |
| केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | | | | | | | | | | | | |
| 2. राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान | 34.92 | ... | 34.92 | 44.25 | ... | 44.25 | 7004.67 | ... | 7004.67 | 2325.51 | ... | 2325.51 |
| कार्यनीतिक तेल भंडार | | | | | | | | | | | | |
| 3. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण) | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 |
| 4. कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान | ... | 2001.00 | 2001.00 | ... | 2499.00 | 2499.00 | ... | 1121.28 | 1121.28 | ... | 700.00 | 700.00 |
| 5. स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान | 29.50 | ... | 29.50 | 79.00 | ... | 79.00 | 19.93 | ... | 19.93 | 80.00 | ... | 80.00 |
| जोड़-कार्यनीतिक तेल भंडार | 29.50 | 2001.00 | 2030.50 | 79.00 | 2500.00 | 2579.00 | 19.93 | 1121.28 | 1141.21 | 80.00 | 701.00 | 781.00 |
| एलपीजी राजसहायता | | | | | | | | | | | | |
| 6. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण | 13000.00 | ... | 13000.00 | 13097.13 | ... | 13097.13 | 13097.13 | ... | 13097.13 | 16477.80 | ... | 16477.80 |
| 7. गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन | 2500.00 | ... | 2500.00 | 2500.00 | ... | 2500.00 | 2251.81 | ... | 2251.81 | 3200.00 | ... | 3200.00 |
| 8. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सब्सिडी देय | 3178.00 | ... | 3178.00 | 454.00 | ... | 454.00 | 282.39 | ... | 282.39 | 608.00 | ... | 608.00 |
| 9. परियोजना प्रबंधन व्यय | ... | ... | ... | 25.00 | ... | 25.00 | 25.00 | ... | 25.00 | 92.00 | ... | 92.00 |
| जोड़-एलपीजी राजसहायता | 18678.00 | ... | 18678.00 | 16076.13 | ... | 16076.13 | 15656.33 | ... | 15656.33 | 20377.80 | ... | 20377.80 |
| मिट्टी तेल राजसहायता | | | | | | | | | | | | |
| 10. मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन | 80.00 | ... | 80.00 | 107.00 | ... | 107.00 | 105.63 | ... | 105.63 | 254.00 | ... | 254.00 |
| 11. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण | 0.01 | ... | 0.01 | 150.00 | ... | 150.00 | 34.25 | ... | 34.25 | 96.00 | ... | 96.00 |
| 12. कम वसूली (अन्य सब्सिडी देय) | 8780.70 | ... | 8780.70 | 8661.87 | ... | 8661.87 | 8661.87 | ... | 8661.87 | 4200.00 | ... | 4200.00 |

(₹ करोड़)

| | वास्तविक 2016-2017 | | | बजट 2017-2018 | | | संशोधित 2017-2018 | | | बजट 2018-2019 | | |
|---|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ | राजस्व | पूंजी | जोड़ |
| 13. पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद सब्सिडी का सीधा हस्तांतरण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता | ... | ... | ... | 5.00 | ... | 5.00 | 2.40 | ... | 2.40 | 5.00 | ... | 5.00 |
| जोड़-मिट्टी तेल राजसहायता | 8860.71 | ... | 8860.71 | 8923.87 | ... | 8923.87 | 8804.15 | ... | 8804.15 | 4555.00 | ... | 4555.00 |
| 14. फूलपुर धामरा हृदय पाइपलाइन परियोजना | ... | 450.00 | 450.00 | ... | 1200.00 | 1200.00 | ... | 400.00 | 400.00 | ... | 1674.00 | 1674.00 |
| 15. राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.73 | 9.73 | ... | 1300.00 | 1300.00 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं | 27603.13 | 2451.00 | 30054.13 | 25123.25 | 3700.00 | 28823.25 | 31485.08 | 1531.01 | 33016.09 | 27338.31 | 3675.00 | 31013.31 |
| केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | |
| स्वायत्त निकाय | | | | | | | | | | | | |
| 16. पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड | 15.23 | ... | 15.23 | 18.34 | ... | 18.34 | 18.34 | ... | 18.34 | 18.37 | ... | 18.37 |
| 17. भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान | 32.00 | ... | 32.00 | ... | 145.20 | 145.20 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 32.00 | 32.00 |
| 18. राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान | 100.00 | ... | 100.00 | 135.10 | ... | 135.10 | 121.75 | ... | 121.75 | ... | ... | ... |
| 19. पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी | 1.71 | ... | 1.71 | 2.69 | ... | 2.69 | 2.33 | ... | 2.33 | 2.42 | ... | 2.42 |
| 20. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, असम | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 |
| 21. ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु | ... | ... | ... | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 | ... | 1.00 | 1.00 |
| जोड़-स्वायत्त निकाय | 148.94 | ... | 148.94 | 156.13 | 147.20 | 303.33 | 142.42 | 3.00 | 145.42 | 20.79 | 34.00 | 54.79 |
| जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय | 148.94 | ... | 148.94 | 156.13 | 147.20 | 303.33 | 142.42 | 3.00 | 145.42 | 20.79 | 34.00 | 54.79 |
| कुल जोड़ | 27780.29 | 2451.00 | 30231.29 | 25310.37 | 3847.20 | 29157.57 | 31661.42 | 1534.01 | 33195.43 | 27391.55 | 3709.00 | 31100.55 |
| ख. योजना परिव्यय | | | | | | | | | | | | |
| आर्थिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | |
| 1. पेट्रोलियम | 27637.15 | ... | 27637.15 | 25123.13 | ... | 25123.13 | 24514.80 | ... | 24514.80 | 24774.59 | ... | 24774.59 |
| 2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं | 28.22 | ... | 28.22 | 30.99 | ... | 30.99 | 33.92 | ... | 33.92 | 32.45 | ... | 32.45 |
| 3. पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय | ... | 2451.00 | 2451.00 | ... | 3847.20 | 3847.20 | ... | 1534.01 | 1534.01 | ... | 3709.00 | 3709.00 |
| जोड़-आर्थिक सेवाएं | 27665.37 | 2451.00 | 30116.37 | 25154.12 | 3847.20 | 29001.32 | 24548.72 | 1534.01 | 26082.73 | 24807.04 | 3709.00 | 28516.04 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | |
| 4. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | 114.92 | ... | 114.92 | 153.25 | ... | 153.25 | 7112.07 | ... | 7112.07 | 2581.51 | ... | 2581.51 |
| 5. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | ... | ... | ... | 3.00 | ... | 3.00 | 0.63 | ... | 0.63 | 3.00 | ... | 3.00 |
| जोड़-अन्य | 114.92 | ... | 114.92 | 156.25 | ... | 156.25 | 7112.70 | ... | 7112.70 | 2584.51 | ... | 2584.51 |
| कुल जोड़ | 27780.29 | 2451.00 | 30231.29 | 25310.37 | 3847.20 | 29157.57 | 31661.42 | 1534.01 | 33195.43 | 27391.55 | 3709.00 | 31100.55 |

(₹ करोड़)

| | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | | बजट सहायता | | |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | जोड़ |
| ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश | | | | | | | | | | | | |
| अन्वेषण और उत्पादन | | | | | | | | | | | | |
| 1. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 28006.41 | 28006.41 | ... | 29967.82 | 29967.82 | ... | 37217.76 | 37217.76 | ... | 32077.12 | 32077.12 |
| 2. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | ... | 1608.85 | 1608.85 | ... | 1951.73 | 1951.73 | ... | 3119.00 | 3119.00 | ... | 4592.00 | 4592.00 |
| 3. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 15.23 | 15.23 | ... | 36.25 | 36.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 7061.07 | 7061.07 | ... | 1500.00 | 1500.00 | ... | 1500.00 | 1500.00 | ... | 800.00 | 800.00 |
| 5. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 6991.03 | 6991.03 | ... | 2953.00 | 2953.00 | ... | 1468.47 | 1468.47 | ... | 409.04 | 409.04 |
| 6. ऑयल इंडिया लिमिटेड | ... | 11083.24 | 11083.24 | ... | 9252.34 | 9252.34 | ... | 4262.74 | 4262.74 | ... | 4299.99 | 4299.99 |
| 7. ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन विदेश लिमिटेड | ... | 17616.99 | 17616.99 | ... | 7088.00 | 7088.00 | ... | 6393.00 | 6393.00 | ... | 5886.00 | 5886.00 |
| जोड़-अन्वेषण और उत्पादन | ... | 72382.82 | 72382.82 | ... | 52749.14 | 52749.14 | ... | 53960.97 | 53960.97 | ... | 48064.15 | 48064.15 |
| शोधन और विपणन क्षेत्र | | | | | | | | | | | | |
| 8. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 12947.80 | 12947.80 | ... | 15890.35 | 15890.35 | ... | 16125.42 | 16125.42 | ... | 20331.16 | 20331.16 |
| 9. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 5742.03 | 5742.03 | ... | 7073.75 | 7073.75 | ... | 7110.00 | 7110.00 | ... | 8425.00 | 8425.00 |
| 10. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 9463.69 | 9463.69 | ... | 5600.64 | 5600.64 | ... | 5600.00 | 5600.00 | ... | 4900.00 | 4900.00 |
| 11. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 1269.11 | 1269.11 | ... | 845.00 | 845.00 | ... | 865.00 | 865.00 | ... | 1010.00 | 1010.00 |
| 12. नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड | ... | 503.35 | 503.35 | ... | 1260.95 | 1260.95 | ... | 375.00 | 375.00 | ... | 428.00 | 428.00 |
| 13. मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | ... | 597.69 | 597.69 | ... | 1126.13 | 1126.13 | ... | 1126.13 | 1126.13 | ... | 744.00 | 744.00 |
| जोड़-शोधन और विपणन क्षेत्र | ... | 30523.67 | 30523.67 | ... | 31796.82 | 31796.82 | ... | 31201.55 | 31201.55 | ... | 35838.16 | 35838.16 |
| पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र | | | | | | | | | | | | |
| 14. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 798.10 | 798.10 | ... | 1318.44 | 1318.44 | ... | 1254.86 | 1254.86 | ... | 2122.14 | 2122.14 |
| 15. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड | ... | 205.20 | 205.20 | ... | 101.27 | 101.27 | ... | 190.00 | 190.00 | ... | 130.00 | 130.00 |
| 16. मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड | ... | 18.71 | 18.71 | ... | 11.62 | 11.62 | ... | 11.62 | 11.62 | ... | ... | ... |
| 18. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड | ... | 423.79 | 423.79 | ... | ... | ... | ... | 700.00 | 700.00 | ... | 1700.00 | 1700.00 |
| जोड़-पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र | ... | 1445.80 | 1445.80 | ... | 1431.33 | 1431.33 | ... | 2156.48 | 2156.48 | ... | 3952.14 | 3952.14 |
| अन्य सहकारी समितियों को उधार | | | | | | | | | | | | |
| 17. बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड | ... | 73.75 | 73.75 | ... | 50.00 | 50.00 | ... | 65.00 | 65.00 | ... | 125.00 | 125.00 |
| 19. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1355.64 | 1355.64 |
| जोड़-अन्य सहकारी समितियों को उधार | ... | 73.75 | 73.75 | ... | 50.00 | 50.00 | ... | 65.00 | 65.00 | ... | 1480.64 | 1480.64 |
| जोड़ | ... | 104426.04 | 104426.04 | ... | 86027.29 | 86027.29 | ... | 87384.00 | 87384.00 | ... | 89335.09 | 89335.09 |

1. **सचिवालय:** मंत्रालय के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान है।
2. **राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान:** कच्चे तेल पर उत्पादन हिस्सेदारी संविदा के अनुसार दरों और अधिसूचित रॉयल्टी के बीच का अंतर है, का संबंधित राज्य सरकारों को ब्लॉक के लिए भुगतान।
3. **इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) चरण 2 (कंदराओं का निर्माण):** चरण II के अंतर्गत स्थानों पर 12.5 एमएमटी की कुल क्षमता वाले कैवर्नस का निर्माण।
4. **कच्चे तेल भंडार के लिए इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) को भुगतान:** भारत की तेल सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, इंडियन स्ट्रे टजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) द्वारा विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में भूमिगत रॉक कैवर्नस में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) क्षमता का कार्यनीतिक कच्चा तेल भंडार, का निर्माण किया जा रहा है। कंदरा को कच्चे तेल से भरने का प्रावधान है।
5. **स्ट्रैटेजिक कूड ऑयल रिजर्व (ओ एंड एम) लिए आईएसपीआरएल को भुगतान:** विशाखापत्तनम, मंगलौर और पाडुर में कैवर्नस के प्रचालन और रखरखाव लागत का भुगतान।
6. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** पहल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत उपभोक्ता को एलपीजी नकद सव्मिडी के सीधे अंतरण के लिए तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को भुगतान।
7. **गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन:** गरीब परिवारों को मिट्टी के तेल, कोयला, ईंधन की लकड़ी, गोबर, फसलों के अवशेषों, आदि के रूप में जीवाश्म ईंधन से एक स्वच्छ ईंधन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बीपीएल गरीब परिवारों को सहायता देने की योजना। गरीब परिवारों को नये कनेक्शन प्रदान करते समय, सुविधाहित राज्यों और क्षेत्रों विशेषकर देश के पूर्वी भागों को बरीयता दी जाएगी।
8. **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहित अन्य सव्मिडी देय:** यह प्रावधान पिछले सालों / योजनाओं की बकाया राशि (माल दुलाई सव्मिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सव्मिडी) के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र इत्यादि को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु सव्मिडी के लिए तेल कंपनियों को भुगतान।
9. **परियोजना प्रबंधन व्यय:** पहल (डीबीटी) एलपीजी योजना के तहत नकद सव्मिडी का सीधे अंतरण के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन व्यय के लिए तेल विपणन कंपनियों को भुगतान।
10. **मिट्टी तेल वितरण सुधारों के लिए नकद प्रोत्साहन:** मिट्टी के तेल में डीबीटी लागू करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान।
11. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण:** मिट्टी के तेल के लिए डीबीटी लागू करने हेतु एक प्रावधान जिसके अंतर्गत सव्मिडी की राशि को सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाएगा।
12. **कम वसूली (अन्य सव्मिडी देय):** पीडीएस मिट्टी के तेल की बिक्री पर पिछले वर्षों / पिछली योजनाओं (माल दुलाई सव्मिडी और एलपीजी और पीडीएस के लिए मिट्टी के तेल पर सव्मिडी) की सव्मिडी के बकायों, कम वसूली के लिए किया गया प्रावधान।
13. **पीडीएस मिट्टी तेल लाभार्थियों के लिए नकद सव्मिडी का सीधा हस्तांतरण के लिए संस्थागत व्यवस्था करने हेतु राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता:** स्कीम का उद्देश्य संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/ निकाय द्वारा बेची जाने वाली पीडीएस केरोसीन गैर-सव्मिडी खुदरा बिक्री मूल्य पर खरीदने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार द्वारा पहचान किए गए अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए डीकेओ पात्र उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सव्मिडी का सीधे अंतरण करना है।
14. **फूलपुर धामरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना:** पीडीएसपीएल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों को राष्ट्रीय गैस ग्रिड के साथ जोड़ेगा। यह एक महत्वपूर्ण गैस अवसंरचना है जो इन आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों के औद्योगीकरण को सुगम करेगा।
15. **राष्ट्रीय भूकंप कार्यक्रम:** मंत्रालय ने भारत के उन सभी अवसादी थालों के 2डी भूकंपी सर्वेक्षण कराने की योजना बनाई है जहां के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं या कम उपलब्ध हैं। ओएनजीसी और आयल इंडिया लि. ने सर्वेक्षण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है और प्रस्ताव है कि इसे वित्त वर्ष 2019-20 तक पूरा कर लिया जाएगा। 48243 एलकेएम 2डी भूकंपीय डेटा की अधिग्रहण प्रक्रिया और व्याख्या 2932.99 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से की जाएगी।
16. **पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड:** पेट्रोलियम विनियामक सरकार द्वारा दिनांक 3.4.2006 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम 2006 को अधिसूचित किया गया था और उसके बाद, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर, शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस को विनियमित करने के लिए इस बोर्ड को गठित कर दिया गया है, ताकि पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस से संबंधित निर्दिष्ट गतिविधियों में शामिल उपभोक्ताओं और निकायों के हित की रक्षा की जा सके।
17. **भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान:** आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रावधान है।
18. **राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान:** जैस, रायबरेली में भारत और विदेश के पेट्रोलियम उद्योग के सभी वर्गों के लिए एक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था न हेतु राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रावधान है।
19. **पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी:** यह प्रावधान ईंधन के परीक्षण के लिए पेट्रोलियम प्रयोगशाला सोसायटी हेतु है।
20. **ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, असम:** असम में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।
21. **ऊर्जा उत्कृष्टता केंद्र, बेंगलुरु:** बेंगलुरु में बुनियादी अनुसंधान सहित ऊर्जा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

लोक उद्यमों में निवेश : आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड : देश के पेट्रोलियम संसाधनों, अभितटीय एवं अपतटीय, दोनों, के अन्वेषण और दोहन के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की स्थालपना की गयी थी। ओएनजीसी तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के लिए कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। इस परिव्यय में भूकंपी सर्वेक्षण, अन्वेषणात्मक एवं विकासात्मक वेधन, पूंजीगत परियोजनाएं एवं क्रय, अनुसंधान एवं विकास, जेवीसी घरेलू और एकीकरण परियोजना इत्यादि सम्मिलित हैं।

गैस अथारिटी आफ इंडिया: गेल की स्थापना प्राकृतिक गैस के प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया था। क्रियान्वित की जा रही प्रमुख परियोजनाओं में दाहेज विजयपुर पाइपलाइन, झज्जर हिसार पाइपलाइन, बवाना नांगल पाइपलाइन, कंप्रेसर स्टेशन कालारस, चैनसा, जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन, दामोल बेंगलुरु पाइपलाइन, कोच्चि कंजीक्कोड मंगलौर पाइपलाइन, अन्वेषण और उत्पादन, वैश्वीकरण / जेवी में इक्विटी भागीदारी, आदि शामिल है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड : इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य कच्चा तेल परिष्कृत करना और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करना है। कंपनी मुंबई रिफाइनरी, रमन मंडी बहादुरगढ़ पाइपलाइन, एचपीसीएल जैव ईंधन लिमिटेड, एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड में एलओबीएस गुणवत्ता उन्नयन परियोजना क्रियान्वित कर रही है।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड : कंपनी का उद्देश्य मुख्यतः कच्चे तेल का परिष्करण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन एवं वितरण करना है। इस कंपनी ने अपनी वार्षिक योजना में मुंबई रिफाइनरी में हाईड्रोक्रैकर पुनर्संरचना और नये सतत उत्प्रेरक पुनर्जनित रिफॉर्मर, क्षमता विस्तार सह आधुनिकीकरण परियोजना चरण II, रिफाइनरी से उरण तक एलपीटी के परिवहन के लिए पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन में निवेश, अन्वेषण एवं उत्पादन इत्यादि के लिए प्रावधान किया है।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड घरेलू और आयातित कच्चे तेल का परिष्करण, उत्पादों का विपणन एवं पाइपलाइनों का परिचालन करता है। इसका गुवाहाटी, बरौनी, कोयली, पानीपत, हल्दिया, मथुरा और डिगबोई में रिफाइनरियां हैं। इसके परिव्यय में पारादीप रिफाइनरी परियोजना, पारादीप संबलपुर रायपुर रांची पाइपलाइन, पानीपत रिफाइनरी अतिरिक्त विस्तार परियोजना, अवशेष उन्नयन तथा एमएस / एचएसडी गुणवत्ता सुधार परियोजना, गुजरात रिफाइनरी, एमएस गुणवत्ता सुधार परियोजना, बरौनी रिफाइनरी, आदि के लिए प्रावधान शामिल है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड : ओआईएल देश और विदेश में तेल की खोज और इसके उत्पादन में लगी हुई है। इसने अपनी वार्षिक योजना में सर्वेक्षण, खोजपूर्ण वेधन, विकास वेधन, पूंजीगत उपकरणों और सुविधाओं, नेल्प परियोजनाओं, विदेशी उद्यमों इत्यादि के लिए प्रावधान किया है।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड : ओएनजीसी ओबीएल ओएनजीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और विकास रकबा प्राप्त कर या विदेश अन्वेषण उपक्रमों के माध्यम से विदेशों से इक्विटी तेल लाने के लिए जिम्मेदार है। इसके परिव्यय में बियतनाम, रूस, सूडान, कोलंबिया, म्यांमार, लीबिया, सीरिया, क्यूबा, ब्राजील, मिन्न, आइवरी कोस्ट, वेनेजुएला और नाइजीरिया, आदि में संपत्ति में निवेश शामिल है।

चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड : यह कंपनी कच्चे तेल के शोधन और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित की गयी थी। कंपनी की प्रमुख क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं में सीडीयू / वीडियू की पुनर्संरचना, यूरो IV विनिर्देशों को पूरा करने के लिए ऑटो ईंधन परियोजना, अवशेष उन्नयन परियोजना, आदि शामिल हैं।

नुमालीगड रिफाइनरी लिमिटेड : यह आईबीपी कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और असम सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। कंपनी की वार्षिक योजना में सिलीगुडी मार्केटिंग टर्मिनल, बैक्स परियोजना (लाइन प्रवेश), ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलिमर लिमिटेड के लिए प्रावधान किए गए हैं।

मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड : यह ओएनजीसी की एक समनुषंगी कंपनी है। कंपनी की वार्षिक योजना में रिफाइनरी उन्नयन सह विस्तार के चरण II, मंगलौर तट पर एसपीएम सुविधा, आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

वामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड : यह कंपनी लुब्रिकेशन ग्रीज और ल्यूब बेरल, चाय निर्यात, उत्पादों के विपणन और यात्रा और रसद व्यापार में लगी है। कंपनी की वार्षिक योजना में निर्यात / आयात / कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ल्यूब शोधन / सम्मिश्रण योजना और औद्योगिक स्नेहक / ग्रीज के लिए बुनियादी सुविधा के लिए प्रावधान किए गए हैं।

बिको लॉरी लिमिटेड : कंपनी की मुख्य गतिविधि बिजली स्विचगियर्स का निर्माण करना है।